अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 85 सन् 2017

शेख अहमद अली व अन्य.....वादीगण

बनाम

श्रीमती मांती देवी व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

23.11.2019

उभय पक्षों की हाजिरी दी गई। अभिलेख को आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा दिनांक 05.12. 2018 को आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन दिया गया है जिसमें उनका कहना है कि यह मुकदमा वादी ने तकरारी एराजी पर अपना हकियत घोषित करने एवं अन्य प्रदर्श हेतु दाखिल किया है एवं मुकदमें के दौरान प्रतिवादीगण ने दिनांक 25.09.2018 को वादी को बेदखल कर दिया जो एक सबसिक्यूवेंट इभेंट है। एवं इस आधार पर अर्जी दावे में मरम्मत होना जरूरी है, क्योंकि मरम्मतनामा फर्मल नेचर का है और इससे मुकदमे के स्वरूप में कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है।

दूसरी तरफ प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादीगण ने वादभूमि पर अपने स्वत्व की घोषणा एवं विक्रय विलेख का आवेदन घोषित करने हेतु यह वाद

संस्थित किया है, किंतु वादी द्वारा यह आवेदन इस आशय का दिया गया है कि मुकदमे के दौरान प्रतिवादीगण ने उसे वाद संपत्ति से बेदखल कर दिया है अतः वादपत्र में संशोधन आवश्यक है, आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा जिस घटना का जिक्र अपने आवेदन में किया गया है जिसे वे वादपत्र में शामिल करना चाहते हैं वह वाद के दौरान घटी घटना है एवं इसे मुकदमे के समुचित निपटारे हेतु वादपत्र में सम्मिलित करना आवश्यक है अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है, एवं वादी को निर्दिष्ट किया जाता है वे एक महीने के अंदर अपने वादपत्र में आदेश के आलोक में संशोधन कर लें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.12.2019

सब जज
सोनपुर सारण।